बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 389794 पटना, दिनांक 20/09/18

ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो0 (अच्छादन)-102-23/2018

प्रेषक,

कँवल तनुज, भा0प्र0से0
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त,
बिहार ।

विषय :- **ग्राम पंचायतों के कालाजार प्रभावित परिवार वाले गांवों के परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत Saturation approach के तहत आवास की स्वीकृति में प्राथमिकता के संबंध में ।**

प्रसंग:- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सराकर का पत्रांक- J-11012/01/2017-RH दिनांक- 09.08.2018 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का फ्रेमवर्क के पारा-3.4.5 के प्रावधान को भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र संख्या-जे0- 11014/01/2016-आर0एच0 दिनांक- 02.01.2018 द्वारा संशोधित करते हुए कालाजार से प्रभावित परिवार वाले गांवों के ग्राम पंचायतों को भी प्राथमिकता दिए जाने का निर्णय संसूचित किया गया है । इन गॉवों को प्राथमिकता के आधार पर Saturation Approach के तहत आच्छादित करने हेतु विभागीय पत्रांक-361746 दिनांक- 23.03.2018 से पूर्व में निदेश दिये गये हैं । कालाजार प्रभावित गॉवों के Saturation Approach के तहत प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने में SECC-2011 के ऑकड़ों पर आधारित प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं हुए परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ देने में समस्या आने की संभावना है ।

विदित है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्राथमिकता सूची में योग्य लाभार्थियों का नाम शामिल करने हेतु पूर्व में विभागीय पत्रांक- 370600 दिनांक- 22.05.2018 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं । ऐसे सभी छुटे हुई योग्य लाभार्थियों के कोटिवार नाम ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को दिनांक-30.09.2018 तक भेजने की अनिवार्यता के आलोक में अपेक्षित है कि सभी जिलों द्वारा इस कार्य को 25.09.2018 तक अनिवार्यतः पूर्ण करते हुए विभाग को कोटिवार ऑकड़े उपलबध कराये जायें ।

अतः भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र संख्या- J-11012/01/2017-RH दिनांक-09.08.2018 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि कालाजार प्रभावित परिवार वाले गांवों के ग्राम पंचायतों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर Saturation approach के तहत आवास की स्वीकृति प्रदान की जाय तथा जिन पात्र लाभार्थियों का नाम प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है उनकी प्रावधानों के आलोक में दिनांक-25.09.2018 तक पहचान करते हुए प्राथमिकता सूची में शामिल करने हेतु सूचीबद्ध करते हुए विभाग को अनिवार्यतः प्रतिवेदित किया जाय ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(कँवल तनुज)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 389794 पटना, दिनांक 20/09/2018

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

J-11012/01/2017-RH

भारत सरकार/Government of India

ग्रामीण विकास मंत्रालय/Ministry of Rural Development

ग्रामीण विकास विभाग/Department of Rural Development

Krishi Bhawan, New Delhi- 110001

Dated: 9th August, 2018

To,

Shri Deepak Kumar, I.A.S.
Chief Secretary
Government of Bihar,
Main Secretariat, Patna- 800015
(cs-bihar@nic.in)

Subject : Provision of houses under Pradhan Mantri Awas Yojana- Gramin (PMAY-G) to Kala-azar areas on top priority –reg.

Kindly refer to your letter no. 245 [H.S] dated 24th July, 2018 on the above mentioned subject in reference to this Ministry's letter no. J-11014/01/2016-RH dated 2nd January, 2018 regarding amendments in para 3.4.5 of Framework for Implementation (FFI) of PMAY-G for extending saturation approach to the Kala-azar affected villages on priority. You have mentioned that there may be cases where some households with kutcha houses in a Kala-azar affected village are not covered in the priority list of PMAY-G and without conversion of all kutcha houses into pucca houses, the desired result for eliminating Kala-azar may not be achieved.

2. In your letter, you have requested for making a provision for conversion of all kutcha houses to pucca houses in Kala-azar hotspot villages, having clustering of five or more cases every year persistently on saturation basis & remaining endemic villages to be covered on same pattern during 2018-19. You have also requested that a special provision be made for providing pucca houses to those households with kutcha houses also who are not covered in the priority list of PMAY-G in the Kala-azar hotspot villages.

3. As you know, as per the Union Cabinet's approval, the identification of beneficiaries under PMAY-G is to be done based on the housing deprivation parameters prescribed in the Socio-Economic Caste Census (SECC), 2011 data, duly validated by concerned Gram Sabha. This condition is applicable for Special Projects under PMAY-G also. Presently, no other parameter can be taken for selection of beneficiaries under this scheme. However, for those households not covered under SECC 2011, but are eligible as per provisions of PMAY-G, due procedure for identification of such households is prescribed in the FFI of PMAY-G and many advisories in this regard have been sent by this Ministry to all State

Governments (including Bihar). The mobile application "AwaasApp" as well as a separate module in AwaasSoft has been developed for capturing the details of these identified households.

4. In this connection, I request you for directing the concerned officers/ officials for capturing the details of households (other than SECC) with kutcha houses in Kala-azar hotspot villages mentioned in the enclosure to your letter. Last date for completion of this process of identification of additional beneficiaries is 30th September, 2018. However, the decision on providing assistance under PMAY-G to these identified households would be taken separately after seeking approval of the competent authority in Central Government.

Yours faithfully,

9/8/18

(Prasant Kumar)
Joint Secretary to the Government of India
Tel. No.: 23389828
Email: prasant.kumar@nic.in